INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP02698083343596V

Certificate No.	:	IN-UP02698083343596V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 01:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14415704/ ETAH SADAR/ UP-ETH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14415704010022118558 87V
Purchased by	:	LATE SHRI SUMAN PRAKASH EDU WELLFARE SOCIETY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	LATE SHRI SUMAN PRAKASH EDU WELLFARE SOCIETY
Second Party	:	BOARD OF TECHNICAL EDUCATION UP LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	:	LATE SHRI SUMAN PRAKASH EDU WELLFARE SOCIETY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL

NOTARIAL

Please write or type below this line

(प्रारूप – अ)

हम (अध्यक्ष) आदित्य कुमार पुत्र श्री रघुराज सिंह निवासी ग्राम मधीपुर पो0 पैढत जसराना जिला फिरोजाबाद एवं (सचिव) अनूप कुमार जैन पुत्र श्री सम्पत्लाल जैन निवासी– गली नं0–2, जैन मोहल्ला एटा (सोसाइटी स्व0 श्री सुमन प्रकाश एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसाइटी ग्राम मधीपुर पो0 पैढत जसराना जिला फिरोजाबाद।

शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एस0पी0 कालेज ऑफ फार्मेसी नगला धीर, जसराना जिला फिरोजाबाद नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम नगला धीर जसराना जिला फिरोजाबाद में गाटा संख्या 2591, 805, 701 एवं रकवा कमश 2.49, 2.48, 0.48 हेक्टेयर (कुल रकवा 5.45 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2591 (कुल रकबा 2.49 हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY ETAH

अनूप जैन

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समितिं द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
GOVT. OF UTTAR PRADESH

अनुराग जैन

सचिव
एस0पी0 कालेज ऑफ फार्मेसी
नगला धीर, जसराना जिला फिरोजाबाद

अध्यक्ष
एस0पी0 कालेज ऑफ फार्मेसी
नगला धीर, जसराना जिला फिरोजाबाद

01/09/23

ETAH